रुप नहीं दिया गया है । जिन खेलों में भारत द्वारा भाग लेने की सम्भावना है उस पर अंतिम निर्णय यथा-समय भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय संघों के परामर्श से लिया जाएगा । जहां तक ओलम्पिक खेलों का संबंध है, भारत द्वारा जिन खेलों में भाग लेने की संभावना है, उनको प्रो-क्वालीफाइंग स्पर्धाएं अभी प्रगति पर चल रही हैं और उसके उपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

(ख) संभावितों का गहन और व्यापक प्रशिक्षण चल रहा है तथा विभाग द्वारा पहले ही भारतीय ओलम्पिक संघ और कुछ संघ के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं । संभावित खिलाड़ियों के व्यापक प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, जहां अपेक्षित हो वहां विदेशी प्रदर्शकों और प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना तथा खिलाड़ियों/टीमों की तैयारी के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों (भारतीय और विदेशी) की सेवाएं लेना शामिल है ।

(ग) खेलों और खेल स्पर्धाओं की व्यवस्था करने का मुख्य दायित्व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय संघों तथा भारतीय ओलम्पिक संघ का है । वित्तीय सहायता और बुनियादी खेल सहायता भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है । भारतीय टीमों/खिलाड़ियों की सफलता या असफलता के कारणों का मूल्यांकन प्रत्येक संघ के कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जा सकता है ।

तथापि सामान्यत: भारतीय खेलों का निम्नस्तर अधोलिखित कारणों से हो सकता है :—

(क) शैक्षिक पद्धति में अभिभावकों तथा संस्थाओं द्वारा खेलों को निम्न प्राथमिकता देना ।

(ख) वित्त का अभाव ।

(ग) मुख्य खेलों के लिए सामान्य उत्साह और सहायता का अभाव ; और

(घ) बुनियादी खेल सुविधाओं का अभाव ।

Complete Literacy By 2000 A.D.

1456. SHRI RAM NARESH YADAV : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the manner in which Government propose to achieve complete literacy in the country by 2000 AD; and

(b) the amount likely to be spent thereon ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Universalisation of elementary education including the programme of non-formal education for school drop-outs and the National Literacy Mission which aims at imparting functional literacy to 80.00 million adult illiterates in the 15-35 age-group by 1995 from an integral part of a larger programme for eradication of illiteracy. Though no specific target has been set for achieving complete literacy, it is expected that approximately 75—80% of the districts would have been covered by total literacy campaigns and the literacy rate in the country would increase to around 70% by the end of the 8th Five Year Plan.

(b) Even though allocations for the 8th Five Year Plan have not yet been finalised, it is hoped that adequate funds would be made available for implementation of these programmes.

आंगनवाड़ियों का निजीकरण

1457. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना के अधीन चल रही आंगनवाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों को केवल 225 से 300 रुपये प्रतिमाह और उनके साथ काम करने वालों को केवल 100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार उनकी मांगों के अनुसार इस राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इस योजना को निजी क्षेत्र में सौंपने का विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने और इस योजना को अपने नियंत्रण में ही रखने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिलाओं और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी): (क) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की अंशकालिक, अवैतनिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं । उन्हें प्रतिमास निश्चित मानदेय मिलता है । उनके मानदेय में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं । पिछली बार संशोधन जुलाई, 1986 में किया गया था । इस समय उनकी अर्हता और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें निम्नलिखित दरों पर मानदेय दिया जा रहा है :—

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रुपए प्रतिमाह
मट्रिकुलेट	275/- रुपए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष के अनुभव वाले मैट्रिकुलेट	300/- रुपए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष के अनुभव वाले मैट्रिकुलेट	325/- रुपए
नॉन मैट्रिक	225/- रुपए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष के अनुभव वाले नॉन-मैट्रिक	250/- रुपए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष के अनुभव वाले नॉन-मैट्रिक	275/- रुपए
(ii) सहायिका	110/- रुपए

(ख) और (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय की दरों में वृद्धि संबंधी मामले पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है । परन्तु भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे समेकित बाल विकास सेवा ((आई सी डी एस) कार्यक्रम के मूल आधार सामुदायिक सहभागिता की अवधारणा के अनुरूप आई सी डी एस परियोजनाओं के संचालन में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।